आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपु

क्रमांकः एफ4 (450)आकाशि / नि.सं. / 13 / 919

दिनांक:- 7-8-11

आदेश

निम्नलिखित महाविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार अकादमी सत्र 2014-15 रवं 2015-16 हैतु अरथाई अनापत्ति प्रमाण पत्र में सशर्त अमिवृद्धि निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है-

| महाविद्यालय का नाम व पता | सम्बद्ध विश्वविद्यालय | विषय / संकाय |
|---|-------------------------------|--------------------------|
| अरावली कॉलेज, एसपीएल—225, औधोगिक क्षेत्र, बगरू तहसील सांगानेर जिला जयपुर। | राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर | पूर्व संचालित विषय/संकाय |

सत्र 2016—17 में निर्धारित अविध में आवश्यक रूप से नियमानुसार स्थायी अनापित प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति कर आवेदन करना होगा।

1. स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु मानदण्ड :--

अ. मानदण्डानुसार संस्था के नाम स्वयं की भूमि–भवन के पंजीकृत दस्तावेज ।

- ब. यूजीसी योग्यताधारी स्थायी शैक्षणिक स्टाफ पर संबंधित विश्वविद्यालयं को प्रेषित पत्र प्राप्ति की प्रति।
- स. स्टाफ को बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान का प्रमाण पत्र।

द. समस्त स्टाफ की पी.एफ. कटौती ।

य. समुचित छात्र सुविधाओं की व्यवस्था ।

उक्त शर्तों की पूर्ति के बिना किया गया आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकंता है।

2. संस्था सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करेंगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी.सी. आई. से मान्यता व विश्वविद्यालय से सम्बद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी।

राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।

- 4. संस्था राज्य सरकार एवं कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा दिये गये सभी आदेशों / निर्देशों की पालना करेगी।
- 5. संस्था द्वारा सूचना का अधिकार के अन्तर्गत आवेदक को आवश्यक रूप से सूचना उपलब्ध करानी होगी।
- संस्था नजदीकी राजकीय पी.जी. महाविद्यालय से सांख्यिकी पुस्तिका प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित समयाविध में अनिवार्यतः जमा करायेगी। भारत सरकार के AISHE सर्वे को भरने की भी जिम्मेदारी होगी।
- 7. मापदण्डों की अधिक जानकारी हेतु विभाग की वेबसाइट <u>www.dce</u>.rajasthan.gov.in का अवलोकन करें।
- 8. संस्था द्वारा एन.एस.एस./एन.सी.सी./रोवरिंग एवं रेजरिंग (स्काउट/गाईड) में से किसी भी एक सहशैक्षणिक गतिविधि में विद्यार्थी को भाग दिलाना होगा । इसकी सूचना समन्वयक एन.एस.एस., कॉलेज शिक्षा को सम्बन्धित अधिकारी का नाम एवं मोबाईल नम्बर सहित दिसम्बर तक आवश्यक रूप से उपलब्ध करवायेंगे ।
- 9. बिन्दु सं० 1 में अंकित मानदण्डों की पूर्ति कर 15 जून, 2016 तक आवश्यक रूप से दस्तावेज विभाग को प्रस्तुत करें।
- 10. संस्था द्वारा अंकित मापदण्डों की पूर्ति निर्धारित समय पर नहीं करने की स्थिति में संस्था विभाग द्वारा निर्धारित एवं आरोपित शास्ति भरने हेतु बाध्य रहेगी ।
- 11. राज्य सरकार की महाविद्यालय संबंधी प्रवेश नीति 2014—15 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।

12. वर्ष 2014—15 की एन.ओ.सी. विश्वविद्यालय तथा बीसीआई की मान्यता के अध्यधीन होली

अम्युक्त,

कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी सचिव, मा० उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।

े निजी सक्ति अतिनिजा मुख्य समिव, चन्च रिक्षा विनान, राजस्थान, जयपुर।

1. जिल्ली स्वीत्व, प्रमुख शासन समिद, सम्ब शिक्षा दिमान, राजस्थान, जदपुर । 4. जिल्ला कल्लाकर, जनार ।